


कार्यालय:- प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

दिनांक-19.02.2021 को हिन्दुस्तान दैनिक अखबार में प्रकाशित खबर "पैनल तैयार होने के बाद नियुक्ति में कोताही" के संदर्भ में प्रकाशित खबर बेबुनियाद एवं तथ्यहीन है, जिसे निम्न तथ्यों के साथ खंडन किया जाता है-

1. जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय में तृतीय वर्ग के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित मेधा सूची के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उक्त नियुक्ति में अपनाये गये प्रक्रिया पर याचिका दायर की गयी है। जिससे संबंधित शपथ पत्र अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा न्यायालय में दायर किया गया है। इसलिए तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित है। समाचार पत्र में जो भी तथ्य प्रकाशित की गयी है, वो भ्रामक एवं गलत है।

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रशासन इस खबर का खंडन करता है।


प्राचार्य 22/2/21

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा
22/2/21